केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 250 रविवार 5 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

सफाई कर्मचारी संघ गौर ने दिया श्रद्धांजलि

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

गौर (बस्ती)। उ० प्र० पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ विकास खण्ड–गौर द्वारा मृतक सफाई कर्मचारी स्व० राकेश कुमार के परिजन को 48650 रुपये की सहयोग राशि दिया गया।

मुख्य रूप से ब्लाक अध्यक्ष बजरंगी, कोशा अध्यक्ष विजय कुमार, मंत्री महि बुल्ला, संगठन मंत्री देवेंद्र कुमार ,लेखा संप्रेक्षक हजारी लाल, राम विलास , रमेश चंद्र , संतोष कुमार , तिलक राम प्रकाश गौड़, बसंत लाल भारत कुमार यादव संतोष शर्मा वासुदेव सिंह सति राम वर्मा नंदलाल मिश्रा शफा तुल्लाह संजय कुमार राम बहादुर यादव सियाराम राजेंद्र कुमार श्रीनिवास संजय कुमार श्रीवास्तव आदि ने कहा कि दुःखी परिवार का हर स्तर पर सहयोग जारी रहेगा।

गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का खुलासाः दो गिरफ्तार 19 सिलेंडर बरामद

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपूर्ति विभाग और थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 19 गैस सिलेंडर (16 भरे और 3 खाली) और एक डिलीवरी वाहन बरामद किया गया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। टीम ने बस्ती टोल प्लाजा से लगभग 200 मीटर पहले स्थित सन इंडेन एजेंसी के पास एक संदिग्ध डिलीवरी वैन को रोका। जांच के दौरान वाहन में अवैध रूप से रखे गए 19 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए, जिसके बाद मौके पर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान संत कुमार पुत्र रामकृपाल, निवासी बड़े बन (सल्लू कबाड़ी के पास), थाना कोतवाली, और संतोष पुत्र जयराम, निवासी मरवटिया साउघाट, थाना कोतवाली के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी में सन इंडेन एजेंसी का डिलीवरी वाहन और 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर शामिल हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इन सिलेंडरों की अवैध रूप से कालाबाजारी की जा रही थी, जिससे आम उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा था। इस कार्रवाई में सहायक क्षेत्रीय अधिकारी (एआरओ) अशोक कुमार मिश्र, पूर्ति निरीक्षक सदर प्रवीण कुमार पांडेय, पूर्ति निरीक्षक कुदरहा अनुराग श्रीवास्तव और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोतीचंद अपनी टीम के साथ शामिल रहे।

सड़क किनारे से हटे अतिक्रमण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शनिवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया। नगर पालिका बस्ती और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के कंपनी बाग से शास्त्री चौक तक सड़क के दोनों किनारों पर फैले अतिक्रमणों को हटाया। इस कार्रवाई में सड़क किनारे लगे ठेले और दुकानें हटाई गईं।

अभियान के दौरान, अधिकारियों की देखरेख में सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेले, रेहड़ी–पटरी, दुकानों के आगे बढ़ाए गए हिस्से और अन्य अस्थायी निर्माणों को हटाया गया। टीम ने अतिक्रमणकारियों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी, ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई।

ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल से हमला, इरान ने मार गिराया अमेरिकी लडाकू विमान

तेहरान (आभा)। अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे युद्ध में ईरान पर कई हवाई हमले हो रहे हैं। शनिवार की सुबह बुशहर न्यूक्लियर प्लांट की बाहरी सीमा के पास एक मिसाइल आकर गिरी, जिससे एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक, इस घटना से संयंत्र के मुख्य हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक सहायक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। समाचार एजेंसी के दावे के अनुसार, संयंत्र में उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है। बुशहर दक्षिणी ईरान में फारसी खाड़ी के तट पर स्थित है और यह देश का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।

ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़े–बड़े दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि तेहरान के आसमान पर अमेरिका का पूरा दबदबा है। लेकिन इसके उलट, ईरान लगातार अमेरिकी विमानों पर निशाना साध रहा है। ईरान ने दो अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट और दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यह

सभी ईरान की टोह लेने निकले हुए थे। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि ईरानी सेना, अमेरिकी सेना के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। लेकिन ईरान के इन हमलों से एक बात साबित हो रही है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के दावों की हवा निकाल दे रहा है।

ईरान के यह सभी हमले, अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहे हैं। करीब 20 साल में यह पहली बार है जब दुश्मन ने अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार गिराया है। अंतिम बार ऐसा साल 2003 में हुआ था। तब इराक में अमेरिकी युद्धक विमान मार गिराए गए थे। रणनीतिक तौर पर देखा तो यह ईरान का दबदबा दिखाता है। ईरान के आसमान पर बार–बार पूर्ण नियंत्रण के ट्रंप के दावे झूठे साबित होते जा रहे हैं। बता दें कि 24 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास सचमुच ऐसे विमान हैं जो तेहरान और उनके देश के अन्य हिस्सों के ऊपर उड़ रहे हैं। वे इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन महज हफ्ते भर बाद, ईरान ने ट्रंप और दुनिया को हकीकत दिखा दी।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष बने दिलीप पाण्डेयः कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे दिलीप पाण्डेय को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। उनके मनोनयन से कार्यकर्ताओं में प्रसन्नता है।

नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष दिलीप पाण्डेय ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ–साथ एक बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से पूर्व सांसद एवं असम प्रभारी हरीश द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए दिलीप पाण्डेय ने कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि वे उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे।

दिलीप पाण्डेय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी को और मजबूत करेंगे तथा आने वाले चुनावों में भाजपा को बड़ी सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

दिलीप पाण्डेय को भाजपा जिला उपाध्यक्ष बनाये जाने पर गोपेश्वर त्रिपाठी, रामानन्द नन्हें, अशोक उपाध्याय, हरिशंकर पाण्डेय, राजकुमार शुक्ल, रामभद्र शुक्ल, सतीश पाण्डेय, सुनील चौधरी, तारक जायसवाल, सतीश सोनकर, रिकूं पाठक, के साथ ही भाजपा के अनेक नेताओं, कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा है कि निश्चित रूप से वे दायित्वों पर खरा उतरेंगे।

डीएम ने किया फसल की क्राप कटिंग

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत चल रहे क्राप कटिंग प्रयोग जनपद में कराया जा रहा है, जिसमें जनपद स्तरीय एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, इसी क्रम में जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना एवं पुलिस अधीक्षक डा यशवीर सिंह ने संयुक्त रूप से ग्राम फेरसम विकास खण्ड–सल्टौआ, तहसील–भानपुर के गाटा संख्या 12/0.126 हे0 में 10 मी० समबाहु त्रिभुज (43.33वर्ग मी0) की कटाई कर फसल का निरीक्षण किया गया, जिसमें गेहूं 18.9 किग्रा निकला, जिसके अनुसार प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 43.5 कुंतल प्रति हे० हुआ। निरीक्षण के दौरान फसल उपज औसतन है। इस अवसर पर भू–स्वामी बादुल्लाह पिता का नाम अब्दुल, अपर सांख्यिकीय अधिकारी–अजय कुमार चौधरी, नायब तहसीलदार–पूजा वर्मा, राजस्व निरीक्षक सुभाष चौबे, लेखपाल शिव कुमार राम, वीरेन्द्र चौधरी, संतोष कुमार एंव ग्रामवासी उपस्थित रहे।

मासूम दलित बालिका के साथ हैवानियत, कत्ल का सोशल मीडिया पर सवाल उठाया तो पुलिस ने अभयदेव शुक्ल को गिरफ्तार किया : मिली जमानत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्यकर्ता अभयदेव शुक्ल द्वारा लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव में मासूम दलित बालिका के साथ हैवानियत और बेरहमी के साथ कत्ल मामले में पुलिस द्वारा अभी तक लगभग 10 माह बीत जाने के बाद भी मामले का खुलासा न किये जाने का मामला उठाना भारी पड़ गया। शनिवार को लालगंज पुलिस ने अभयदेव शुक्ल को हिरासत में ले लिया। उन्हें जेल भेजने की नीयत से उप जिलाधिकारी सदर के कार्यालय तक लाया गया। इसकी भनक मिलते ही जब अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार मौके

–अन्याय के विरूद्ध जारी रहेगा संघर्ष, निकलेगी रथ यात्रा– अभयदेव शुक्ल

पर पहुंचे तो अभयदेव शुक्ल को जमानत मिल गयी। श्री शुक्ल ने कहा कि इस अमानवीय घटना के विरोध में उनका रचनात्मक आन्दोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मामले का खुलासा नहीं हो जाता। जरूरत पड़ी तो रथ यात्रा निकाली जायेगी। पुलिस ने अभयदेव शुक्ल के सोशल मीडिया पोस्ट को भी हटवा दिया है।

ज्ञात रहे कि लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव में पांच साल की मासूम को अगवा कर हैवानियत के बाद उसका गला घोंट कर हत्या कर दी गई। मासूम का शव गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास मिला था। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। मासूम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान 20 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ भी किया गया किन्तु अभी तक इस जघन्य हत्याकाण्ड का खुलासा नहीं किया है। अनेकों बार आन्दोलन भी हुआ किन्तु मामला अभी ठंडे बस्ते में है।

अधिवक्ता अजय चन्द्रा के प्रकरण में एसपी से मिले सिविल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर पाण्डेय, महामंत्री राजेश सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मण्डल ने शनिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अजय चन्द्रा के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंपा। मांग किया कि स्वतः संज्ञान लेकर इसका निस्तारण कराया जाय। एसपी को दिये पत्र में कहा गया है कि दीवानी वाद के लम्बित रहते तथा उभय पक्षों के बीच सुलह के बावजूद सीओ सदर सत्येन्द्र भूषण तिवारी अपने पद का दुरुपयोग करके चौकी इंचार्ज रौता को आदेशित करके अनावश्यक दबाव बना रहा रहे हैं।

पत्र में एडवोकेट अजय चन्द्रा ने कहा है कि वे उनका निवास रौता पुलिस चौकी के पास है। उनका व पडोसियों के मध्य दीवानी वाद सं0 544/2014 सिविल कोर्ट बस्ती में लम्बित है। उभय पक्षों के मध्य सुलह भी हो चुकी है यह तय हुआ कि उनके मकान से सटे दक्षिण तरफ 56 इंच जमीन पर वे चबूतरा बना सकतें है और दुकान खोल सकते है। उसका टीन शेड भी

–सीओ सदर पर मनमानी का आरोपः कार्यवाही की मांग

लगवा सकते है, किन्तु छज्जा नहीं लगवा सकते। इससे पूर्व भी जब दुकान बन रही थी तो पडोसी बी०एन० सिंह के रिश्तेदार तत्कालीन सी०ओ० हरैयां संजय सिंह ने अपने पद का दुरूपयोग करके इसी सुलहनामें को मुद्दा बनाकर दुकान का छज्जा कटवा दिये थे क्योंकि सुलहनामें में स्पष्ट लिखा था कि टीन शेड लगवा सकते हैं। किन्तु छज्जा नहीं निकाल सकते।

पत्र में कहा गया है कि 3 अप्रैल को वे अपनी उसी दुकान पर सुलहनामें के अनुरूप टीन शेड लगवा रहे था लेकिन सी०ओ० सदर ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए रौता चौकी इंचार्ज को फोन करके टीन शेड रोकवा दिए और उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही का मौखिक आदेश दिया है। सी०ओ० सदर का यह कृत्य उनकी पद के गरिमा के विरूद्ध है। सी०ओ० सदर विगत कई वर्षों से इसी जनपद में इसी पद पर बने हुए है। उनकी अधिवक्ता अजय चन्द्रा के पडोसियों बी०एन० सिंह, रामकेश चौधरी से अच्छी जान पहचान भी हो गई है जिसकी वजह से वह प्रायः उन्हें परेशान करते रहते है। उन्हें आशंका है कि सी०ओ० सदर इसी प्रकरण में अपने पद का दुरूपयोग करके किसी फर्जी मुकदमें में मुझे फंसा कर अनावश्यक चालान करवा सकते हैं। सी०ओ० सदर के इस कृत्य से उनकी छवि धूमिल हो रही है।

एसपी को पत्र देने के दौरान प्रतिनिधि मण्डल में अधिवक्ता अविनाश मिश्र शिव पाएडेय, रामप्रगट मिश्र सौरभ श्रीवास्तव, अरविन्द पाण्डेय , शारदा प्रसाद पाण्डेय, दयाशंकर नागेन्द्र मिश्र, संजय कुमार पाण्डेय आदि शामिल रहे।

पंजाब भाजपा के मुख्यालय में हुए धमाका मामले में 5 गिरफ्तार

चंडीगढ़ (आभा)। पंजाब के चंडीगढ़ सेक्टर–37 स्थित में भाजपा मुख्यालय में हुए ब्लास्ट केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में इस घटना में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले में शामिल दो मुख्य हमलावरों की पहचान कर ली गई है। इनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, .30 बोर जिगाना पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने शनिवार को चंडीगढ़

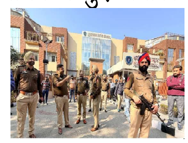

में बताया कि प्रारंभिक जांच में इस पूरे मॉड्यूल के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के पुख्ता संकेत मिले हैं। यह नेटवर्क विदेश में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहा था, जिनकी लोकेशन पुर्तगाल और जर्मनी में पाई गई है।

पुलिस ने बताया कि इसमें कई अलग–अलग मॉड्यूल और उप–मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंजाब के नवांशहर के गांव माजरी निवासी बलविंदर लाल उर्फ शामी, गांव भरापुर का जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, गांव सुजावलपुर निवासी चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, शिमला के गांव थाना निवासी रूबल चौहान और धूरी निवासी मंदीप उर्फ अभिजोत शर्मा (संगरूर) के रूप में हुई है।

तहसील दिवस में 5 मामले निस्तारित

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती । भानपुर तहसील सभागार में जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु तहसील दिवस का आयोजन जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने भी जनसुनवाई किया। जिलाधिकारी ने तहसील दिवस में दूर–दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार–बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उप जिलाधिकारी

हिमांशु कुमार ने बताया कि तहसील दिवस में कुल 56 शिकायते प्राप्त हुई, जिसमे से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थानों से संबंधित मामलों को तत्परता से निस्तारण करायें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएफओ डा. शिरीन, सीएमओ डा. राजीव निगम, डीडीओ अजय कुमार सिंह, पीडी राजेश कुमार, डीपीआरओ धनश्याम सागर, समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, मत्स्य अधिकारी संदीप वर्मा, डीएसओ विमल शुक्ला, सीवीओ डा. ए.के. गुप्ता, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम, डीएचओ अरूण त्रिपाठी सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

दबंगों ने पुत्र और मां को मारा पीटा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । कोतवाली थाना क्षेत्र के मनहनडीह निवासी दलित विजय शंकर पुत्र स्वर्गीय रामबली ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को तहरीर देकर दबंगों द्वारा मारने पीटने, जाति सूचक गालियां देकर अपमानित करने, असलहा लहराकर धमकी देने के मामले में दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई की मांग किया है। इस सम्बन्ध में भीम युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू राव, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ प्रमोद ने कोतवाली पहुंचकर मामले में मुकदमा दर्ज कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने का आग्रह किया। कहा कि न्याय न मिला तो भीम युवा वाहिनी संघर्ष को बाध्य होगी। पुलिस दबाव में मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

तहरीर में विजयशंकर ने कहा है कि गत 3 अप्रैल को उनका पुत्र विशाल उर्फ मोनू गांव में किक्रेट खेलने जा रहा था कि रास्ते में लाठी

–भीम युवा वाहिनी ने दिया चेतावनी, न्याय न मिला तो होगा आन्दोलन

डंडा से लैश होकर बैठे शिवम तिवारी, प्रिन्स पाण्डेय, शिवांश त्रिपाठी ने जाति सूचक गालियां देते हुये उसे मारा पीटा। शोर सुनकर बीच बचाव करने गयी उनकी पत्नी को भी उक्त लोगों ने मारा पीटा। छत पर चढकर ईट पत्थर चलाया जिससे कई लोगों को चोटें आयी। शिवांस त्रिपाठी ने असलहा दिखाकर धमकी दिया। इससे विजय शंकर का परिवार डरा सहमा है। उसने अपने घायल पुत्र और पत्नी का मेडिकल परीक्षण कराकर दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराते हुये न्याय दिलाने की मांग किया है।

कोतवाली पहुंचकर न्याय दिलाने की मांग करने वालों में विजयशंकर, सोनू, पूनम, प्रमोद कुमार, कुशलावती देवी, राजन, आराधना, सपना, सिताबा, विमलेश, रचना, हेमामालिनी, पुष्पा, आरती, प्रदीप, दशरथ आदि शामिल रहे।

शिव सेना यूबीटी ने सौंपा ज्ञापनः शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रदेश सचिव संजय प्रधान के नेतृत्व में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिलाधिकारी को सम्बोधित 13 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांग किया कि निजी स्कूलों में शिक्षा के बाजारीकरण को रोका जाय और सरकारी विद्यालयों में मानक के अनुसार मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाय।

ज्ञापन सौंपने के बाद शिव सेना नेता संजय प्रधान ने कहा कि शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। अभिभावक कदम–कदम पर ठगा जा रहा है और जिम्मेदार चुप्पी साधे हुये हैं। फीस, किताब, ड्रेस के नाम पर मनमानी वसूली की जा रही है। इस पर अंकुश लगाया जाय।

ज्ञापन में जनपद के विद्यालयों में व्याप्त अव्यवस्थाओं और शिक्षा व्यवस्था में गिरावट को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में मिड–डे मील, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। साथ ही कई विद्यालयों में शिक्षकों

की लापरवाही और अनुपस्थिति के कारण शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है, जिससे खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।शिव सेना (यूबीटी) ने मांग की कि जनपद के सभी विद्यालयों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। फीस, किताब और ड्रेस के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की बात कही गई। इसके अलावा दोषी विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किए जाएं और अभिभावकों की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

शिवसेना यूबीटी ने प्रशासन से मांग किया कि इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित एवं कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ज्ञापन देने वालों में जिला प्रमुख ई. रूपेन्द्र श्रीवास्तव, शिवम प्रताप सिंह, आदित्य सिंह, सूरज कुमार शुक्ल, प्रद्युम्न सिंह, प्रतीक मिश्र आदि शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 5 अपैल 2026 रविवार

सम्पादकीय

डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रूपया

पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच डॉलर के मुकाबले रुपये का अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से मजबूत मुद्रा भंडार होने के बावजूद रुपये पर दबाव होना, देश के सामने कई तरह मुश्किलें पैदा कर सकता है। कहा जा रहा है कि भारत फिर 2013 जैसी स्थितियों से रूबरू है। लेकिन इस बार जहां मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, वहीं तमाम वैश्विक उथल–पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति 2013 के मुकाबले मजबूत है। दरअसल, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच विदेशी निवेशक डॉलर को मजबूत निवेश के विकल्प के रूप में देखते हैं। इसीलिए वे उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी निकालकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं। जिससे डॉलर मजबूत हो रहा है और रूपये जैसी दूसरी मुद्राएं कमजोर हो रही हैं। इसकी एक वजह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती भी है। जिसका नकारात्मक प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों की मुद्राओं पर पड़ता है। यही वजह है कि एशिया में बेहद कमजोर स्थिति वाली मुद्राओं में रुपये भी शामिल है। ऐसी स्थिति में हमारे निर्यात सस्ते और आयात महंगे होने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। एक हकीकत यह भी है कि ईरान व अमेरिका के बीच जारी युद्ध से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने व पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने से भी रुपये पर दबाव बढ़ा है। इसकी एक विसंगति यह भी है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। जिसका प्रतिशत 85 फीसदी के करीब है। फलतरू तेल कंपनियां अधिक डॉलर की मांग कर रही हैं,जिसका असर रूपये की सेहत पर भी पड़ रहा है। लेकिन पिछले एक साल में रुपये के मूल्य में दस फीसदी गिरावट और डॉलर के मुकाबले उसका सर्वकालिक निम्न स्तर तक पहुचना हमारी गंभीर चिंता का विषय होना ही चाहिए।

आशंका जतायी जा रही है कि यदि ईरान व अमेरिका का युद्ध और लंबा खिंचता है तो रूपये के मूल्य में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि, अपनी तरफ से देश के केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक व रणनीतिक उपायों से रुपये की गिरावट को थमाने के प्रयास किए हैं, लेकिन उसका सीमित प्रभाव ही रहा है। भले ही भारत के पास सात सौ अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार हो, लेकिन उसका भी सीमित उपयोग ही रुपये के संरक्षण में हो सकता है। हालांकि, भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा का भंडार है कि दस महीने के आयात को सहजता से संचालित किया जा सकता है। वास्तव में वैश्विक परिदृश्य में जारी उथल–पुथल से बाधित आर्थिकी और असुरक्षा के चलते डॉलर की बढ़ती मांग ने रूपये को कमजोर बनाया है। इसके बावजूद केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से ही रुपये का गिरना संभल सकता है। केंद्रीय बैंक तेल कंपनियों के डॉलर के अतिरिक्त दबाव को कम करने को कदम उठा सकता है। एसबीआई की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि तेल कंपनियों के लिये अलग डॉलर विंडो बनाये जाने से रुपये पर अचानक पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। हर दिन तेल कंपनियों को भारी मात्रा में डॉलर की जरूरत होती है। यही मांग बाजार में रुपये पर अतिरिक्त दबाव बना रही है। रिपोर्ट में एक सुझाव है कि इन कंपनियों के लिए अलग डॉलर विंडो बनाई जाए। अगर ऐसा होता है, तो बाजार में डॉलर की असली मांग और सप्लाई साफ दिखेगी। इससे रुपये पर अचानक पड़ने वाला दबाव कम भी हो सकता है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि रुपये को 'शॉक एब्जॉर्बर' बनाकर हर दबाव को झेलने के लिये छोड़ देने की नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है। जानकार मानते हैं कि इस दिशा में केंद्रीय बैंक को आक्रमक रणनीति अपनानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग रुपये को संबल देने में करना चाहिए। इसके जरिये टाले जा सकने वाली गिरावट रोकी जा सकती है। इसके लिये अर्थव्यवस्था में नकदी संतुलन भी जरूरी है। बाजार की स्थिरता के लिये ब्याज दरों का संतुलन भी लाभप्रद हो सकता है। जिससे रुपये के कमजोर होने का दबाव अर्थव्यवस्था पर न पड़े।

कार्यालय ग्राम पंचायत मुड़वरा वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मुड़वरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **मुड़वरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **मुड़वरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **मुड़वरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **मुड़वरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(शिवेन्द्र कुमार) प्रधान ग्राम पंचायत–मुड़वरा
(सत्येन्द्र कुमार) सचिव ग्राम पंचायत–मुड़वरा

कार्यालय ग्राम पंचायत जाता वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **जाता** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **जाता** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **जाता** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **जाता** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **जाता** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(संतोष चौधरी) प्रधान ग्राम पंचायत–जाता
(चन्द्र शेखर) सचिव ग्राम पंचायत–जाता

कार्यालय ग्राम पंचायत विशुनपुर वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **विशुनपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **विशुनपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **विशुनपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **विशुनपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **विशुनपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(वेद प्रकाश) प्रधान ग्राम पंचायत–विशुनपुर
(रिंगभान चौधरी) सचिव ग्राम पंचायत–विशुनपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत बहादुरपुर वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बहादुरपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बहादुरपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बहादुरपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बहादुरपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बहादुरपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(धारीलाल) प्रधान ग्राम पंचायत–बहादुरपुर
(सत्येन्द्र कुमार) सचिव ग्राम पंचायत–बहादुरपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत देईपार वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **देईपार** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **देईपार** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **देईपार** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **देईपार** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **देईपार** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(रघुबीर) प्रधान ग्राम पंचायत–देईपार
(चन्द्रशेखर) सचिव ग्राम पंचायत–देईपार

कार्यालय ग्राम पंचायत सूरतगढ़ वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सूरतगढ़** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **सूरतगढ़** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **सूरतगढ़** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **सूरतगढ़** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सूरतगढ़** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(रामचरण) प्रधान ग्राम पंचायत–सूरतगढ़
(चन्द्र शेखर) सचिव ग्राम पंचायत–सूरतगढ़

कार्यालय ग्राम पंचायत परसा दमया वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **परसा दमया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **परसा दमया** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **परसा दमया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **परसा दमया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **परसा दमया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(विश्राम)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**परसा दमया**

(रिंगभान चौधरी)
सचिव
ग्राम पंचायत–**परसा दमया**

कार्यालय ग्राम पंचायत पचमोहनी वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पचमोहनी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पचमोहनी** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पचमोहनी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पचमोहनी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पचमोहनी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(राम प्रकाश त्रिपाठी)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**पचमोहनी**

(विनोद कुमार)
सचिव
ग्राम पंचायत–**पचमोहनी**

कार्यालय ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **लक्ष्मणपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **लक्ष्मणपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **लक्ष्मणपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **लक्ष्मणपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **लक्ष्मणपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(शेराबानों)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**लक्ष्मणपुर**

(अनुरोध श्रीवास्तव)
सचिव
ग्राम पंचायत–**लक्ष्मणपुर**

कार्यालय ग्राम पंचायत शेखुई वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **शेखुई** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **शेखुई** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 13–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **शेखुई** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **शेखुई** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **शेखुई** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(ध्रुबचन्द्र)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**शेखुई**

(मुहम्मद शकील)
सचिव
ग्राम पंचायत–**शेखुई**

कार्यालय ग्राम पंचायत लप्सी वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **लप्सी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **लप्सी** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **लप्सी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **लप्सी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **लप्सी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सुमन देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**लप्सी**

(विनोद कुमार)
सचिव
ग्राम पंचायत–**लप्सी**

कार्यालय ग्राम पंचायत पकड़ी चौबे वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पकडी चौबे** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पकडी चौबे** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पकडी चौबे** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पकडी चौबे** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पकडी चौबे** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(दुर्गावती)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**पकडी चौबे**

(विनोद कुमार)
सचिव
ग्राम पंचायत–**पकड़ी चौबे**

कार्यालय ग्राम पंचायत बहरामपुर वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बहरामपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बहरामपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बहरामपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बहरामपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बहरामपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(विश्वजीत चौधरी)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**बहरामपुर**

(अनुरोध श्रीवास्तव)
सचिव
ग्राम पंचायत–**बहरामपुर**

कार्यालय ग्राम पंचायत औड़जंगल वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **औड़जंगल** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **औड़जंगल** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **औड़जंगल** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **औड़जंगल** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **औड़जंगल** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(क्रांति कुमार)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**औड़जंगल**

(मुहम्मद शकील)
सचिव
ग्राम पंचायत–**औड़जंगल**

कार्यालय ग्राम पंचायत पिपराचन्द्रपति वि.खं. साऊंघाट, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पिपराचन्द्रपति** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पिपराचन्द्रपति** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पिपराचन्द्रपति** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पिपराचन्द्रपति** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पिपराचन्द्रपति** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(कुसुम)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**पिपराचन्द्रपति**

(पूनम शर्मा)
सचिव
ग्राम पंचायत–**पिपराचन्द्रपति**

कार्यालय ग्राम पंचायत तरैनी वि.खं. गौर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **तरैनी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **तरैनी** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 04–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **तरैनी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **तरैनी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **तरैनी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(लक्ष्मण सोनकर)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**तरैनी**

(प्रमोद कुमार)
सचिव
ग्राम पंचायत–**तरैनी**

रुक्मिणी विवाह प्रेम भक्ति और सत्य की जीत का संदेश देती है –शिवबली चौबे

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती कांवरिया संघ चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन रुक्मिणी विवाह, गोवर्धन पर्वत उठाने, दहेज प्रथा को रोकने व प्रभु से संबंधा बनाने के प्रसंग पर चर्चा की और लघु वीडियो फिल्म भी दिखाई। कथा व्यास शिवबली चौबे महराज ने बताया कि रुक्मिणी विवाह की कथा वास्तव में प्रेम, भक्ति, और सत्य की जीत का प्रतीक है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हों।

रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उसके भाई रुक्म ने उसका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्मणी ने कृष्ण को एक पत्र लिखकर अपनी स्थिति बताई और उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए कहा। कृष्ण ने रुक्मणी को बचाने के लिए एक योजना बनाई।

उन्होंने रुक्मणी के विवाह के दिन शिशुपाल के साथ लड़ाई की और रुक्मणी को अपने साथ ले गए। इस प्रकार, कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ। रुक्मणी विवाह का प्रसंग भगवान कृष्ण और रुक्मणी की प्रेम कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथा प्रेम, भक्ति, और सत्य की जीत का संदेश देती है।

उन्होंने बताया कि स्त्री या पुरुष को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। पद्मपुराण में उस घटना का जिक्र है जब नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान करने के लिए गोपियां जाती हैं और तब उनके वस्त्र श्रीकृष्ण चुरा लेते हैं। गोपियां, श्रीकृष्ण से बहुत प्रार्थना करती हैं कि वे उनके वस्त्र उन्हें लौटा दें लेकिन श्रीकृष्ण उन्हें स्वयं जल से बाहर निकलकर वस्त्र लेने के लिए कहते हैं। इस पर गोपियां उनसे विनम्रता से कहती हैं कि वे नग्नावस्था में जल से बाहर नहीं आ सकतीं तो श्रीकृष्ण उनसे कहते हैं कि तुम निर्वस्त्र होकर स्नान करने गई ही क्यों थी? गोपियों ने उत्तर दिया कि जब वे स्नान करने जा रही थीं तो वहां कोई नहीं था।

श्रीकृष्ण ने उनसे कहा, ऐसा तुम्हें लगता है। क्योंकि आसमान में उड़ रहे पक्षियों ने तुम्हें नग्नावस्था में देखा, जमीन पर छोटे–छोटे कीड़े–मकोड़ों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा, यही नहीं पानी के जीवों ने और साथ ही स्वयं वरुण देव ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। दहेज प्रथा का सामाजिक बहिष्कार करने की सलाह दी। बेटियों से बड़ा कोई धन नहीं है. इन्हें अच्छे संस्कार दें। दहेज में धन नहीं धार्मिक पुस्तकें पुस्तक दीजिए।

इस दौरान विवेक गिरोत्रा, संजय द्विवेदी, सुनील कुमार गुप्ता, गौरव साहू, सरदार प्रभुप्रीत सिंह, राजन गुप्ता, राम विनय पाण्डेय, पंकज त्रिपाठी, सूर्य कुमार शुक्ला, आनंद राजपाल,रोहन गुप्ता, विजय गुप्ता, दिनेश चंद्र जायसवाल, संतोष कुमार सिंह, ध्रुव कुमार गुप्ता, रविंद्र तिवारी सहित सैकड़ो लोग उपस्थित रहे।

बीमारी से परेशान वृद्ध ने खुद का गला रेतकर की आत्महत्या

संवाददाता–अयोध्या। बीमारी से परेशान वृद्ध ने शनिवार सुबह चाकू से अपना गला रेत लिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाबा बाजार थाना क्षेत्र की है। यहां के रहने वाले जुबेर अहमद के पिता इन्सान अली (60) एक साल से हाथ, पैर और कमर में तेज जलन की समस्या से पीड़ित थे। परिजनों ने उनका काफी इलाज कराया, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही थी। इससे वह मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगे थे। कई बार घर से चले जाते थे। आत्महत्या की कोशिश भी कर चुके थे।

बताया गया कि शनिवार सुबह करीब 5 बजे इन्सान अली ने घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से अपना गला रेतकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है।

नवनिर्मित घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव, घरवाले बोले– हत्या की गई

संवाददाता–अयोध्या। शनिवार की सुबह युवक का शव उसी के नवनिर्मित घर में फंदे से लटका मिला। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करके जानकारी ली। आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय खरगी महमद भारी गांव की है।

मृतक की पहचान बब्बन यादव के पुत्र विनय यादव (27) के रूप में हुई है। उसका शव उसी के नवनिर्मित लेंटर पड़े घर के अंदर फंदे से लटकता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी जुटाई।

बताया गया कि मृतक चार भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था। वह अभी अविवाहित था। घटना के बाद परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला मान रही है।

कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

जनपद में गेहूं खरीद की हुई बोहनी, 445 कुंतल की खरीद

संवाददाता–गोरखपुर। जनपद में गेहूं क्रय केंद्र 30 मार्च से ही खुल गए लेकिन जनपद के विभिन्न क्रय केंद्रों पर शनिवार से गेहूं खरीद शुरू हुई। शनिवार को किसानों में उत्साह दिखा और कुल 445 कुंतल गेहूं की खरीद दर्ज की गई। गोला क्रय केंद्र पर पहले किसान का स्वागत कर खरीद प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दूबे ने किसान का माल्यार्पण कर एवं मिठाई खिला कर किया। गोलाबाजार में खाद्य विभाग के गोला गेहूं क्रय केंद्र पर शनिवार को ग्राम भडसड़ा के किसान अशोक कुमार तिवारी से 70 कुंतल गेहूं खरीदा गया। इस मौके पर जिला खाद्य विणपन अधिकारी अरविंद कुमार दूबे एवं एआर कोऑपरेटिव नीरज कुमार ने उन्हें मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर स्वागत किया।

इसी क्रम में परसिया मिश्र क्रय केंद्र पर ग्राम खिरकिटा दुबे के किसान अमित दुबे से 40 कुंतल गेहूं खरीदा गया। एसएमआई गोला पवन कुमार ने बताया कि गोला ब्लॉक में खाद्य विभाग के 3, पीसीएफ के 3 और पीसीयू के 2 सहित कुल 8 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी केंद्रों पर खरीद के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।अन्य केंद्रों पर भी शनिवार को पहली बार गेहूं की खरीद हुई। खोराबार में भजुराम ने 14.50 कुंतल और नरसिंह गिरी ने 23.50 कुंतल गेहूं बेचा। उरुवा में बृजभूषण दुबे ने 29 कुंतल, राजेंद्र सिंह ने 87.50 कुंतल और जय प्रकाश यादव ने 19 कुंतल गेहूं की बिक्री की। वहीं मोतीराम अड्डा पर छेदी प्रसाद यादव ने 145 कुंतल और बाबूराम यादव ने 16.50 कुंतल गेहूं बेचा। भटहट में नहीं खुला गेहूं क्रय केंद्र असमंजस में किसानभटहट भारतीय बस्ती संवाद के मुताबिक रामपुर बुजुर्ग के पास खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा क्रय केंद्र है। यहां धान खरीद के लिए एसएमआई के रूप में विनोद कुमार को नियुक्त थे लेकिन उनकी सम्बद्धता समाप्त हो गई है। कर्मचारी के अभाव में यह क्रय केंद्र बंद पड़ा है। किसान गेहूं की बिक्री को लेकर असमंजस में हैं। वहीं, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दूबे ने बताया कि भटहट में खाद्य एवं रसद विभाग से एक, यूपीएसएस से हरपुर के साथ ही पीसीएफ से करमौरा एवं पतरा में एक–एक खरीद केंद्र बनाए गए है।। भटहट में तैनात तत्कालीन एसएमआई कि सम्बद्धता समाप्त होने के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। जल्द ही नियुक्ति करते हुए केंद्र खुलवाया जाएगा। उधर सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी केके सिंह कहते हैं कि कर्मचारी तैनाती की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही केंद्र खोला जाएगा।

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
व्यहारवाद संख्या 540 / 2025
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) स्थान–नौगढ़ जिला–सिद्धार्थनगर

बाबूराम
बनाम
तुलसीराम आदि

1. तुलसीराम उम्र लगभग 72 वर्ष पुत्र स्व0 रामअधारे 2. लालबहादुर उम्र लगभग 35 वर्ष 3. बीरबहादुर उम्र लगभग 30 वर्ष 4. योगेश उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्रगण श्री तुलसीराम सभी निवासीगण ग्राम व पोस्ट जोगिया तप्पा नादेपार परगना व तहसील नौगढ़ जिला–सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 23–04–2026

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **23–04–2026** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–423/2019

विकास कुमार
बनाम
दयाराम आदि

4. श्रीमती इसरावती देवी पत्नी रामलाल ग्राम भैसवलिया तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 5. श्रीमती रूबी पत्नी रामदरस ग्राम कबरा तप्पा कबरा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 6. श्रीमती पूनम पत्नी पप्पू ग्राम सोहसावास परगना व पोस्ट परतावल तहसील व जिला महराजगंज 7. रीना पत्नी रामदौड़ ग्राम रैनिया तप्पा जगन्नाथपुर परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 13–04–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 13 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

प्रारूप 7
(देखे नियम–11 (1)
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना
अदालत–श्रीमान जे0एम0/ एफ0 टी0 सी0 (सी0ए0डब्लू0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
घरेलू हिंसा परिवाद वाद सं0 42/2026
थाना–कप्तानगंज
जिला–बस्ती

रामरती
बनाम
माया देवी

1– माया देवी पत्नी किशन कुमार पुत्री रंगीलाल मूल निवासी ग्राम दौलतपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर (मयका) हाल मुकाम निवासी ग्राम भरू पोस्ट ओझागंज थाना कप्तानगंज जिला–बस्ती (ससुराल)

तारीख पेशी 21–04–2026

याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा– 12 के अधीन आवेदन फाइल किया है/किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गये (अनुतोषो) को आपके विरूद्ध प्रदान कर दिया जाय व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत काउन्सेल के मार्पत तारीख 21 मास 04 सन् 2026 को बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमे असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–205/2024

मेहदी हसन
बनाम
सैय्यद हसन आदि

1. सैय्यद हसन उम्र लगभग 35 साल 2. अनारूल्लाह उम्र लगभग 31 साल पुत्रगण मोहम्मद हुसेन निवासीगण मौजा मुगरहा तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम पोस्ट भितेहरा तहसील रूधौली जिला बस्ती

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

3. नवी हसन उम्र लगभग 41 साल पुत्र मोहम्मद हसेन निवासी मौजा मुगरहा तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम पोस्ट भितेहरा तहसील रूधौली जिला बस्ती

–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 26–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 26 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अरहान खान पुत्र अन्सार अली साकिन दौलतपुर पोस्ट दुधौरा तहसील व जिला बस्ती (उ.प्र.) का निवासी है। मेरा जेन्डर पहले महिला था और आधार कार्ड में आशामा खातून नाम दर्ज है परन्तु अब सरजरी के बाद पुरुष जेन्डर सरजरी करा लिया हूं जिस कारण सभी डाकोमेन्ट मे मेरा नाम अरहान खान को दर्ज कराना आवश्यक एवं न्याय संगत है । मैं जन्म से लडकी थां परन्तु मेरा सर्जरी पी.जी.आई चण्डीगढ़ में जेन्डर चेन्ज कर सर्जरी कराया गया है। इस कारण से सभी दस्तावेजों में व आधार कार्ड व पैन कार्ड में मेरा नाम अरहान खान दर्ज कराया जाना आवश्यक है ।

कार्यालय ग्राम पंचायत-बेलवा वि0ख0 -नौगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बेलवा** विकास खण्ड नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/पंचम राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/वीबी–जीरामजी/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2026–27 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 15–04–2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **बेलवा** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन दिनांक 15.04.2026 को 03:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्तें

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।
2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।
4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।
5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।
6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **बेलवा** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **बेलवा** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–मो0 इसराइल
ग्राम पंचायत–**बेलवा**
विकास खण्ड–नौगढ़
जनपद –सिद्धार्थनगर

सचिव–प्रीति गुप्ता
ग्राम पंचायत–**बेलवा**
विकास खण्ड–नौगढ़
जनपद –सिद्धार्थनगर

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com